विवरण

सरकार को 24 जुलाई, 1991 को घोषित नयी औद्योगिक नीति के अनुसरण में प्रतिबंधों को समाप्त करने की दिशा में अनेक उपाय किये गये हैं । ये उपाय 6 अगस्त, 1991 को घोषित लघु उद्योगों के लिए नीतिगत उपायों के वक्तव्य में दिये गये हैं । पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिबंधों को समाप्त करने की दिशा में की गई संक्षिप्त कार्यवाही का वर्षवार विवरण नीचे दिया गया है :—

1991 :

1. लघु उद्योगों में संयंत्र तथा मशीनरी के रूप में निवेश सीमा बढ़ा दी गयी है।

2. लघु उद्योगों को विभिन्न श्रेणियों की परिभाषा करने के लिए स्थापना-स्थल संबंधी मानदंडों को समाप्त कर दिया गया है ।

3. लघु उद्योगों और सेवा व्यावसायिक उद्यमों से संबद्ध उद्योग जिसकी स्थायी परिसंपत्ति के रूप में निवेश 5 लाख रु० तक है—जिसमें भूमि व भवन शामिल नहीं है, को लघु उद्योग के समान दर्जा दिया गया है ।

4. लघु उद्योग में प्रतिबंधित सूची समाप्त कर दी गयी है ।

1992 :

1. लघु औद्योगिक एककों के लिए जल तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण कानून के तहत स्वीकृति पाने की पद्धति को सरल कर दिया गया है। अब लघु औद्योगिक इकाइयों को केवल एक पावती लेनी होती है जो स्वीकृति के रूप में होती है लेकिन यह 17 अत्यधिक प्रदूषणकारी क्षेत्रों के अलावा है ।

2. लघु एककों में अन्य औद्योगिक उपक्रमों को 24% तक ईक्विटी भागीदारी की अनुमति दी गयी है ।

1993 :

1. अप्रैल, 1993 में लघु तथा अनुषंगी औद्योगिक उपक्रमों के लिए भुगतान में विलंब पर ब्याज के लिए एक अधिनियम की घोषणा की गई ।

2. लघु इकाइयों के अनंतिम तथा स्थायी पंजीकरण के आवेदन पत्र को सरल बनाया गया और अनंतिम पंजीकरण प्रमाण पत्र की वैधता अवधि को बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है ।

खादी और ग्रामोद्योग कार्यकरण के संबंध में उच्च अधिकार प्राप्त समिति

7031. श्री वीरेन जे० शाह :
प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा देश में खादी ग्रामोद्योग का समग्र विकास करने हेतु आवश्यक सुझाव देने के लिए एक उच्चस्तरीय शक्ति-सम्पन्न समिति का गठन किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो यह समिति कब गठित की गयी थी और इसे अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है ;

(ग) समिति के नामनिर्देशित चेयरमैन और सदस्यों के नाम क्या हैं ;

(घ) क्या सरकार को समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ङ) यदि हां, तो समिति की मुख्य सिफारिशें क्या-क्या हैं और उन्हें कार्यान्वित करने की क्या योजनाएं हैं ; और

(च) यदि उपर्युक्त भाग (घ) का उत्तर ना हो तो उसके कब तक प्राप्त हो जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) समिति का गठन 2 अगस्त, 1993 को किया गया था और उससे 3 महीने के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई थी । समिति को तब रिपोर्ट को अन्तिम रूप देने तथा उसे प्रस्तुत करने के लिए तीन महीने का और समय दिया गया था ।

(ग) समिति का गठन विवरण में दिया गया है । **(नीचे देखिए)**

(घ) से (च) रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है और उसको शीघ्र प्रस्तुत किया जायेगा ।

विवरण

उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन :

1. प्रधान मंत्री . .	अध्यक्ष
2. श्री ए०के० एन्टोनी, नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता कार्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्री .	कार्य-वाहक अध्यक्ष
3. वित्त मंत्री . .	सदस्य
4. उपाध्यक्ष, योजना आयोग	सदस्य
5. राज्य मंत्री (ल०उ० तथा कृषि एवं ग्रा०उ०) .	सदस्य
6. राज्य मंत्री (ग्रामीण विकास) . .	सदस्य
7. राज्य मंत्री (श्रम) .	सदस्य
8. श्री नवल किशोर शर्मा, महासचिव, ए०आई०सी० सी (आई) . .	सदस्य
9. श्री बालविजय, संयोजक, खादी मिशन, गोपुरी, वर्धा	सदस्य
10. श्री सोमदत्त, पूर्व-अध्यक्ष, के वी आई सी और सचिव, खादी आश्रम, पानीपत (हरियाणा)	सदस्य
11. श्री वी० रामाचन्द्रन, पूर्व-सदस्य सचिव, भारतीय ग्रामोद्योग (दक्षिण), कोयम्बटूर .	सदस्य
12. श्रीमती जया बेन शाह, अध्यक्ष, सौराष्ट्र रचनात्मक समिति, राजकोट .	सदस्य
13. श्री एस०के० बन्द्योपाध्याय, सचिव, गांधी स्मारक निधि तथा पूर्व सदस्य, के०वी आई सी . .	सदस्य
14. श्री अवधेष सिंह, सचिव, गांधी आश्रम, बाराबकी (उ०प्र०) . .	सदस्य
15. श्रीमती लेन्टिना ठक्कर, नागालैंड गांधी आश्रम, पी० ओ० चुचिमबंग, कोहिमा (नागालैंड) . .	सदस्य
16. अध्यक्ष, के० वी आई सी .	सदस्य
17. श्रीमती मोहिसिना किदवई	सदस्य
18. श्री मनुभाई मेहता .	सदस्य
19. श्री लक्ष्मी दास, पूर्व अध्यक्ष, के० वी आई सी .	सदस्य
20 सचिव (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग)	सदस्य

लघु क्षेत्र के उद्योगों की क्षमता में वृद्धि

7032. श्री राम जेठमलानी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों के दौरान देश में लघु उद्योग इकाइयों की स्थापना में निरन्तर वृद्धि हुई है ;